2019, अंक-32

ISSN : 2394-093X

स्त्रीकाल

स्त्री का समय और सच

ऑनलाइन शोध पत्रिका

समूह संपादक

संजीव चंदन : 08130284314

संपादक

राजीव सुमन : 09650164016

संपादक मंडल

डॉ. अनुपमा गुप्ता : 09422903102

धर्मवीर : 08800671615

निवेदिता : 09835029152

साज-सज्जा एवं शब्द संयोजन

दिनेश कुमार : 09910129575

स्त्रीकाल त्रैमासिक की सदस्यता (प्रिंट) :

व्यक्तिगत

आजीवन : रुपये 2000

वार्षिक : रुपये 250

संस्थागत

आजीवन : रुपये 5000

वार्षिक : रुपये 500

भारत से बाहर के पाठकों के लिए

आजीवन : $ 500

वार्षिक : $ 50

(पोस्टल शुल्क अलग से देय नहीं होगा)

सदस्यों को मार्जिनलाइज्ड प्रकाशन' से प्रकाशित और वितरित होने वाली किताबों पर 25% की विशेष छूट दी जायेगी। आजीवन सदस्यता प्राप्त सदस्यों को 300 रुपये मूल्य की किताबें भी प्रतिवर्ष भेजी जायेंगी।

स्त्रीकाल

(स्त्री का समय और सच)

विषय विशेषज्ञ :

प्रो. रोहिणी अग्रवाल

पूर्व विभागाध्यक्ष, हिन्दी विभाग, महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय, रोहतक

प्रो. शैलेन्द्र सिंह

विभागध्यक्ष, भाषा विभाग, नार्थ इस्टर्न हिल विश्वविद्यालय

प्रो. परिमला आंबेकर

विभागाध्यक्ष, हिन्दी विभाग, गुलबर्गा विश्वविद्यालय, गुलबर्गा

डा. निशा शेंडे

एसोसिएट प्रोफेसर, महिला महाविद्यालय, अमरावती, सदस्य, ऐडवाइजरी कमिटी, वीमेन स्टडीज डिपार्टमेंट, अमरावती विश्वविद्यालय, महाराष्ट्र

डॉ. रतन लाल

एसोसिएट प्रोफेसर, इतिहास विभाग, हिन्दू कॉलेज, दिल्ली विश्वविद्यालय

डा. कौशल पंवार

असिस्टेंट प्रोफेसर, संस्कृत विभाग, मोतीलाल नेहरू कॉलेज, दिल्ली विश्वविद्यालय

डॉ. अनिल कुमार

पूर्व असिस्टेंट प्रोफेसर, सामाज शास्त्र, मेरठ विश्वविद्यालय

संपादकीय सम्पर्क

The Marginalised , an Institute for Alternative Research & Media Studies, C/O Ashok D. Meshram, Sanewadi Wardha , Maharashtra, 442001

Delhi Office : A-2 U/G/F House No. 420, K.H. 322, Neb Sarai, New Delhi-110068

Email : themarginalised@gmail.com, Mob: 8130284314, 9650164016

(प्रकाशित रचनाओं में व्यक्त विचार लेखकों के अपने हैं। संपादक की उनसे कोई अनिवार्य सहमति नहीं बनती। पत्रिका से जुड़े सभी व्यक्ति अवैतनिक हैं।)

पत्रिका से संबंधित सभी मामले दिल्ली न्यायालय के आधीन होंगे।

इस अंक में

1. विवाह में स्त्री का व्यापारीकरण–विवाहों की प्रक्रिया और महिलाओं का जीवन संघर्ष : **गितेश** 03
2. नवजागरणकालीन स्त्री चिंतन के संदर्भ में सबाल्टर्न विचार : **अभिषेक भारद्वाज** 09
3. मुद्रणशिल्प का इतिहास (19वीं शताब्दी, बंगाल) : **दोलनचंपा गांगुली** 13
4. अमृतलाल नागर के उपन्यासों में हाशिये की स्त्री : **आरती** 17
5. हिन्दी कहानियों में स्त्री समलैंगिकता का स्वरूप **: जैनेन्द्र कुमार** 21
6. नागार्जुन की कविताओं में आदिवासी जीवन और संघर्ष : **अंजलि कुमारी** 25
7. समकाल को स्पष्ट करते हुए : एक सच्ची–झूठी गाथा : **कंचन कुमारी** 35
8. प्रतिरोध के स्वर और समकालीन आदिवासी हिन्दी कविता : **दिनेश अहिरवार** 38
9. राहुल सांकृत्यायन की स्त्री चेतना : **प्रीति चौधरी** 42
10. भारतेन्दु हरिश्चंद्र की पत्रकारिता और स्त्री–मुक्ति के प्रश्न **: मेधा** 44
11. राही मासूम रजा के उपन्यासों में चित्रित–नारी विमर्श : **मोनिका कुमारी** 51
12. टैगोर और महिला सशक्तिकरण का उनका संदेश : एक नारीवादी परिप्रेक्ष्य : **डॉ. रेखा ओझा** 53
13. हिन्दू धर्म में स्त्रियों की यौनिकता के प्रति दृष्टिकोण : **रेणु सिंह** 58
14. अपनी कथाओं में आखिर कितनी स्त्रियों का वध करेंगे आप : **एच के रूपा रानी** 61
15. आदिवासी जीवन संघर्ष और परिवर्तन की चुनौतियां : **डॉ. साधना गुप्ता** 63
16. यशपाल की कहानियों में स्त्री जीवन के प्रश्न : **साक्षी** 66
17. शांताबाई दाणी की आत्मकथाओं में स्त्री–अस्मिता का प्रश्न : **डी. अरुणा** 69
18. छत्तीसगढ़ बस्तर संभाग में जनजातीय महिला जीवन शैली, समस्या एवं महिलाओं के लिए संचालित विभिन्न तरह की योजनाओं का एक अध्ययन : **शिव कुमार सिंघल** 73
19. शोषण और मुक्ति के विविध आयाम : **विवेक कुमार** 80
20. पंत काव्य में आधी आबादी : एक विमर्श : **स्नेहा कुमारी** 84
21. कमल कुमार के काव्य में स्त्री–प्रश्न : **मनीषा जैन** 85
22. चित्रा मुद्गल की कहानियों में दाम्पत्य जीवन : **गुलनाज़ बेगम** 89
23. त्याग पत्र : नारी पीड़ा का ज्वलंत दस्तावेज : **शिल्पा शर्मा** 91
24. रणेंद्र की कविताओं में आदिवासी स्त्री सरोकार : **सत्य प्रकाश** 95
25. फिल्मी गीतों के क्षेत्र में गोपाल सिंह 'नेपाली' का योगदान : **सुशील कुमार** 99
26. रीतिकाल स्त्री लेखन की विशेषताएं : **रामानुज यादव** 103

27. नयी कविता और रूमानी संवेदना : **सीमा मिश्र** 110
28. सहजोबाई कृत 'सहजप्रकाश' पुस्तक की समीक्षा : **कपिल कुमार गौतम** 112
29. शुद्धतावादी समाज और स्त्री संघर्ष : 'सेज पर संस्कृत' : **नेहा साव** 118
30. स्त्री अस्मिता की आत्मकथात्मक अभिव्यक्तियां : **अनिल कुमार** 121
31. स्त्री और बाजार : **प्रियंका कुमारी** 124
32. हिन्दी नाटक 'माधवी' : मिथकीय परंपरा–प्रयोग एवं स्त्री विमर्श : **अभिषेक त्रिपाठी** 128
33. समाज का अस्तित्वविहीन सामाजिक प्राणी : किन्नर : **हेतराम भार्गव** 130
34. कृषक जागरण का जीवंत दस्तावेज : रण्डिडड़षि : **डॉ. हेरमन पी.जे.** 133
35. 'वजह हो तुम' प्रेम अभिव्यक्ति : एक विश्लेषण : **डॉ. भगवती देवी** 135
36. भारतीय समाज और 'त्यागपत्र' की स्त्री : **शशि** 139
37. स्त्रीवादी कविता : विविध स्वर और सरोकार : **मनीष कुमार** 143
38. स्त्री–मुक्ति की नवचेतना : पुरुष–श्रेष्ठता की बौद्धिक हिंसा : **पायल साहनी** 146
39. समकालीन हिन्दी कहानी में बाजार और स्त्री : **नीतू पी जे** 149
40. प्रेमचंद के उपन्यासों में नारी विमर्श **: संतोष कुमार बघेल** 151
41. आदिवासी स्त्री–चिंतन **: डॉ. मुन्ना साह** 155
42. कवि रमाशंकर 'विद्रोही' की कविताओं में स्त्री स्वर **: सत्यवंत यादव** 157
43. लैंगिक विमर्श का नया दौर (किन्नर विमर्श) और हिंदी उपन्यास 'दरमियाना' **: हर्षिता द्विवेदी** 161
44. नागार्जुन के उपन्यासों में लोक–संस्कृति का स्त्रीवादी पक्ष **: डॉ. मधु** 169
45. सीता के प्रिय राम **: डॉ. श्रुति आनंद** 173
46. प्रेम के पीर जायसी के पद्मावत में विरह वर्णन **: सुधाकर यादव** 178
47. स्त्री के अधिकारों के लिए संघर्ष करती समकालीन कविता **: डॉ. प्रभाकरन हेब्बार इल्लत** 180
48. एस. आर. हरनोट की कहानियों में शिल्प (विशेष संदर्भ : 'मिट्टी के लोग' कहानी–संग्रह) **: मोनिका सिंह** 185
49. उम्मीदों की उड़ान जैसा आगाज : पंडिता रमाबाई : **डॉ. कृष्णा जाखड** 189
50. बाजारवाद, पूंजी और मुनाफे का कॉकटेल है 'कब्र का मुनाफा' कहानी **: मुलायम सिंह** 193
51. महादेवी वर्मा के रेखाचित्रों में विधवा जीवन : एक अवलोकन **: डॉ. राजू कुमार** 195
52. दव्य दैहिकता की अवधारणा देवदासी **: अमित कुमार झा** 198
53. कविता के बहाने किन्नर समुदाय के बेदखली का महाख्यान **: सुमित कुमार चौधरी** 201
54. महिलाओं के भरोसे खेती **: संजय कुमार** 205

विवाह में स्त्री का व्यापारीकरण–विवाहों की प्रक्रिया और महिलाओं का जीवन संघर्ष

गितेश

यह शोध–पत्र इस विषय पर केन्द्रित है की वास्तव में ये परिघटना क्या है? वैश्विक और राष्ट्रीय स्तर तक फैली हुयी इस समस्या का किस तरह से सामान्यीकरण हो रहा है। "विवाह में स्त्री का व्यापारीकरण" का अर्थ विवाह के लिए स्त्रियों की खरीद–फरोख्त का होना, जो ठीक उसी प्रकार है जैसे किसी भी वस्तु का उसकी मांग और आपूर्ति के सिद्धान्त पर व्यापार किया जाता है उसी तरह औरतों या लड़कियों को वस्तु (commodity) की तरह प्रयोग किया जाता है। जिसे हम मानव–तस्करी के इतर जाकर नहीं देख सकते। मानव तस्करी मानव देह का व्यापार है जो बंधुआ मजदूरी, यौन–दासता, यौन–शोषण का व्यवसायीकरण करने के लिए किया जाने वाला संगीन जुर्म है और वृहत स्तर पर मानवाधिकारों का हनन करता है। प्रत्येक वर्ष हजारों की संख्या में पुरुष, महिलाएं और बच्चों की तस्करी होती है, विश्व का लगभग प्रत्येक देश इस जुर्म की चपेट में हैं। जबकि मानवाधिकारों की सार्वभौमिक उद्घोषणा के बाद मानवाधिकार सभी मनुष्यों के आधारभूत अधिकारों के रूप में उनकी मानवीय–गरिमा, समानता और भेदभाव–रहित जीवन जीने के लिए उन्हें जन्म से ही मिले हैं। International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR) and the International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights (ICESCR) में भी राज्य को सभी मानवाधिकारों को बनाए रखने और रक्षा करने और बढ़ावा देने के लिए कहा गया है। CEDAW को मानवाधिकारों के लिए एक संधि के रूप में है जो "स्त्री और पुरूष में समानता के आधार पर राजनीतिक, सार्वजनिक और निजी जीवन में समान अवसरों और समान पहुँच प्रदान करने की बात करती है"। जैसे–शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार में समान अवसर।

अंतरराष्ट्रीय कानून (international law) के अनुसार–"महिलाओं के खिलाफ होने वाली हिंसा (विशेषकर जेंडर के आधार पर) उनके प्रति भेदभाव है जो स्त्रियों के अधिकारों का हनन है और महिलाओं में होने वाली तस्करी समझ–बूझ किया जाने वाली लिंगाधारित संगीन हिंसा है"। लेकिन इतने सारे राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय कानून और संगठन होते हुये भी इस तरह के अपराध लगातार बढ़ रहे हैं। इसी संदर्भ में अपनी चिंता व्यक्त करते हुये और राज्य की गैर जिम्मेदार भूमिका को कटघरे में खड़ा करते हुये Executive Director of UNODC Antonia Maria Costa के अनुसार "many governments are still in denial there is even neglect when it comes to either reporting on or prosecuting cases of human trafficking."

United Nations Convention against Transnational Organized Crime (Trafficking Protocol)–2000. जो दिसंबर 2003 में लागू हुई का अनुच्छेद 3 निम्न कृत्यों की मनाही करता है :– अनुच्छेद के भाग (a) के अनुसार– "व्यक्ति में तस्करी" का अर्थ होगा शोषण के उद्देश्य से भर्ती, परिवहन, स्थानांतरण, सत्ता का दुरुपयोग, धोखा–धड़ी, अपहरण या बलात्कार, व्यक्ति को रसीद या शोषण के प्रयोजन से शरण देना, किसी भी जोखिम या भुगतान की चेतावनी देकर सहमति प्राप्त करना तथा शोषण के अंतर्गत यौन शोषण का कोई भी रूप या गुलामी और दासता का कोई भी स्वरूप अर्थात शोषण के इरादे से किसी भी तरह की सहमति प्राप्त करना अप्रासंगिक है, और CEDAW की मोनेटरिंग कमिटी के अनुच्छेद नं॰ 19 में–"महिला के खिलाफ हिंसा जो ये समझ कर की जाती है कि वह औरत है और औरत को अनुपयुक्त ढंग से प्रभावित करती है, यह महिलाओं के खिलाफ भेदभाव के साथ–साथ लिंगधारित हिंसा है जो निषेध है।

इस प्रकार मानव तस्करी के तीन मुख्य आयाम हैं–

क्या किया जाता है?

उनकी भर्ती (recruitment), परिवहन (transportation), बदली करना (transfer), मज़दूरी (labouring) आदि।

कैसे किया जाता है?

ज़ोर–जबरदस्ती से या बलपूर्वक, बलात्कार, धोखा, किसी भी प्रकार की सत्ता का गलत इस्तेमाल करके, अपहरण आदि।

उद्देश्य

शोषण करने के लिये जिसके अंतर्गत–वैश्यावृत्ति के लिए यानी यौन शोषण, मजदूरी, मानवांगों की तस्करी आदि।

शोध–क्षेत्र

शोध का मुख्य केंद्रीय बिंदु हरियाणा में विवाह के